

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 17/548

किशन सिंह आत्मज रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

### बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा नायब तहसीलदार, दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री राजकुमार गौतम, अपीलान्ट की ओर से ।  
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।


### निर्णय

दिनांक: 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, दबलाना जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम सोरण की आराजी खसरा नं. 1485 की 05 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 08.08.2016 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करने का आदेश पारित किया ।

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय  
(पंजाब और आंध्र)





12. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

में उपस्थित हों।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधील अधीनस्थ आर्थिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जमाना / तावान राशि जमा करा दी है। इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित नायब तहसीलदार, दबलाना को भी प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र में यह भी अंकित किया जावे कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को भी इस आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति अक्षकल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। पक्षकारान दिनांक 04.12.2017 को न्यायालय नायब तहसीलदार, नैनावा जिला बुन्दी में उपस्थित हों।

9. अधीनस्थ द्वारा जिस भूमि पर आतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या आतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ द्वारा अधील में अंकित किया गया है कि उसका उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है। उसके द्वारा कब्जा छोड़ दिया गया है कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में अधीनस्थ ने अंडरटेकिंग दी है और तावान की राशि जमा करवा दी गई है।

8. हमने पत्रावली का अधीनस्थ अवलोकन किया एवं उसमें पक्ष के लयाक अधिवक्तागण की भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ द्वारा अधील प्रस्तुत करने में किसे है वह उचित प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अधीनस्थ ने विलम्ब के जो कारण दर्शाते बरस पर मनन किया। हमने सर्वप्रथम अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।
4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने अभिभाषक की नियुक्ति कर रखी थी और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया तथा आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.10.2017 को पुलिस थाना दबलाना से अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और यदि कब्जा माना जावे तो उसके द्वारा कब्जा छोड़ दिया गया है कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अंडरटेकिंग दी है और तावान की राशि जमा करवा दी गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।
7. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी जिरह में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।